HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6971/2026
CNR: RJHC021022842026 | URN: CRLMP / 17159U / 2026

1. Rakesh Kumar Saini Son Of Shri Banwari Lal Saini, Resident Of 125, Bibi Ka Kuwa, Ward No. 6, Fatehpur, Sikar (Raj).
2. Smt. Banarsi Devi Wife Of Shri Banwari Lal Saini, Resident Of 125, Bibi Ka Kuwa, Ward No. 6, Fatehpur, Sikar (Raj).
3. Vijay Kumar Saini Son Of Shri Banwari Lal Saini, Resident Of 125, Bibi Ka Kuwa, Ward No. 6, Fatehpur, Sikar (Raj).
4. Amit Kumar Saini Son Of Shri Banwari Lal Saini, Resident Of 125, Bibi Ka Kuwa, Ward No. 6, Fatehpur, Sikar (Raj).
5. Rajkumar Saini Son Of Shri Banwari Lal Saini, Resident Of 125, Bibi Ka Kuwa, Ward No. 6, Fatehpur, Sikar (Raj).
6. Smt. Asha Devi Wife Of Shri Ramavtar Saini, Resident Of Balchand Apartment, Narona Compound Area Near Cross Garden In Bhayandar West, Thane District Maharashtra.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Madan Lal Raigar Son Of Shri Suwa Lal, Resident Of Plot No. A-18, Bal Nagar, Gali No. 2, Mahesh Nagar, Jaipur (Raj).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Deepak Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Babu Lal Bairwa, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

29/10/2026

यह याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना–रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244/2026 अपराध

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.31
14:23:42 IST

अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 351(2), 351(3), 61(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्तगण तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी/पीडित/आहतगण द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया कि पक्षकारों के बीच में आपसी स्वैच्छिक सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है। दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, अपराध जघन्य व गंभीर प्रकृति का नहीं है, अतः उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके आधार पर संस्थित आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। उनके द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके साथ पुलिस के समक्ष अभियुक्तगण व आहतगण/पीडित/परिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक कर प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

वर्तमान मामले में अपराध गंभीर व जघन्य प्रकृति का नहीं है। पक्षकारान् के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं, अतः ऐसी स्थिति में अनुसंधान अथवा अभियोजन को निरन्तर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Gian Singh Vs. State of Punjab & Anr. 2012(10) SCC 303 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह याचिका स्वीकार होकर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही अपास्त होने योग्य है।

परिणामतः **अभियुक्तगण राकेश कुमार सैनी, बनारसी देवी, विजय कुमार सैनी, अमित कुमार सैनी, राजकुमार सैनी, आशा देवी** की ओर से प्रस्तुत याचीका स्वीकार की जाती हैं तथा याचीगण के विरूद्ध पुलिस थाना–रेनवाल, जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244/2026 की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में यदि वर्तमान याची/गण के अलावा अन्य कोई अभियुक्त/गण के विरूद्ध विचारण/अनुसंधान शेष है तो वह जारी रहेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

10/DINESH KUMAWAT